डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 27/2023

वादी

1. धन राज पुत्र रूघ नाथ जाति ब्राह्माण निवासी हनुमान चोक जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमला पुत्री रूघनाथ जाति ब्राह्मण निवासी भिंयाकला तहसील मकराना
2. किसनी पत्नी जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी जायल
3. शान्ती पुत्री रूघनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा
4. हरिराम पुत्र रूघनाथ जाति ब्राह्मण निवासी हनुमान चोक जायल
5. जयराम पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी हनुमान चोक जायल
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 कि ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री सुमित कुमार नवल एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका वं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री सुमित कुमार नवल एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 धनराज के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 4 हरिराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खसरा नम्बर 424 रकबा 1.3597 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 425 रकबा 0.6313 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

17/7/23

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner